[Shri Jawaharlal Nehru]

that as we are discussing this matter fully, not his resignation but the whole matter and the Resolutions before the House, and the facts are fairly well-known, it is not really necessary unless the House so desires for him to make a statement here. That is the position.

Some Hon. Members: It is not necessary.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, जरा इसको हिन्दी में भी समझा दें ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बस इतनी सी बात है कि श्री कृष्ण मेनन ने इस्तीफा दे दिया था और प्रेसीडेंट साहब ने उसे मंजूर कर लिया है ।

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत धन्यवाद ।

12.04 hrs.

RE: MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

Mr. Speaker: I have to inform the House.....

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

Mr. Speaker: Order, order. There is nothing before the House and therefore there cannot be any point of order.

श्री बागड़ी : मेरी थोड़ी सी अर्ज है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी अर्ज सुन लीजिये; फिर मैं आपकी सुन लूंगा ।

I have to inform the House that I have received notice of the following motion of no-confidence in the Council of Ministers under Rule 198 from Sarvashri Ram Sewak Yadav and Mani Ram Bagri:

'This House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.'

The reason given is:—

Inactive and unprincipled foreign and defence policy of the Government of India.'

May I request those Members who are in favour of leave being granted to rise in their places?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुन लें। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय सदस्य का ही मोशन है और वे ही इस पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव मैंने दिया है, उसके सम्बन्ध में एक नियम यह है कि आप माननीय सदस्यों से कहेंगे कि वे अपने स्थानों पर खड़ हो जायें । लेकिन जब तक कि उस प्रस्ताव की बातों को यहां पर माननीय सदस्य जानेंगे नहीं, जब तक उनको मालूम नहीं होगा कि मैंने क्या प्रस्ताव दिया है तब तक वे कैसे अपना मत बनायेंगे खड़े होने के लिये ? मैंने एक प्रस्ताव पहले दिया था, उसमें सारे कारण दिये थे लेकिन यह कह कर कि वह एक तरह का भाषण है, आपने उसको नहीं माना । तब मैंने इसको दिया । तो या तो उसके पूरे कारण यहां पढ़े जाते या फिर जो पचास आदमियों के खड़े होने की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मुझे दो चार मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया जाय और उसके बाद प्रस्ताव को यहां रक्खा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में रूल साफ हैं और उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । बल्कि पिछली दफा जो रीजन्स दिये गये थे उनको भी स्पीकर साहब ने नहीं पढ़ा था, जब श्री अजराजसिंह ने एक ऐसा ही मोशन दिया था । सिर्फ इतना ही कहा गया था :

"This House expresses its vote of no confidence."

सिर्फ इतना ही पढ़ा गया था । लेकिन मैंने जो आपके रीजन्स लिख हुऐ थे उनको भी पढ़ दिया है कि किन वजूहात की बिना पर आप यह मोशन फार नो कांफिडेंस देना चाहते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जरा हमको यह हिन्दी में भी सुना दिया जाय, अभी सिर्फ इंग्लिश में ही सुनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वामी जी से बहुत दफा कहा है कि हर एक बात पर बार बार यह कहा जाना ठीक नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह बहुत महत्व-जपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उचित नहीं कि हर एक बात पर यह कहा जाय ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो नोकांफि-डेंस मोशन दिया है, उसके बारे में रूल्स बहुत साफ हैं । इस पर कोई तकरीर पहले नहीं हो सकती जब तक कि यह हाउस इजाजत न दे कि आप उसको मूव कर सकते हैं । पहले जो इजाजत लेनी है वह इसीलिये लेनी है कि आया आप को आज्ञा दी जाय या नहीं कि आप इस को मूव कर सकते हैं । अगर आप को मूव करने की आज्ञा दे दी गई, तब आपको पूरा अख्त्यार होगा अपनी बात कहने का । तब मैं आप से कहूंगा कि जो वक्त मुकर्रर किया जायेगा उस वक्त आप उसको मूव करेंगे और सब माननीय सदस्य अपना भाषण देंगे, अपने कारण बतलायेंगे कि किस बिना पर यह मोशन दिया जा रहा है । लेकिन जो आज्ञा पहले लेनी होती है उस पर कोई भाषण नहीं होता । मेरे लिये यह जरूरी है कि इस फायदे के मुताबिक मैं इस को सदन के सामने रक्खूं, और मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग इस मोशन के हक में हों वे कृपा करके अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जायें । मैं देखता हूं कि केवल सात माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिये मेरा विचार है कि सदन इस मोशन को रखने की आज्ञा नहीं देता ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह सदन कुछ सुनना ही नहीं चाहता, इसलिये यह स्थिति बन रही है ।

कुछ माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों को रोकिय।

अध्यक्ष महोदय : जब स्वामी जी खड़े हैं, तब मैं उनको कैसे रोकूं ?

श्री रामेश्वरानन्द नन्द : यह लोग कौन होते हैं बोलने वाले, आप हम से कह सकते हैं बैठ जाने के लिये ।

श्री बागड़ी : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी से बहुत दफे कहा है कि प्वाइंट आफ आर्डर उस चीज के सम्बन्ध में हो सकता है जो कि हाउस के सामने हो । एक चीज खत्म हुई, दूसरी अभी ली नहीं गई तब आप उसके बारे में प्वाइंट आफ आर्डर कैसे रेज कर सकते हैं ? जब कोई चीज इस वक्त हाउस के सामने नहीं है, तो मैं आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या सुनूं ?

श्री बागड़ी : मैं बहुत विनयपूर्वक आप से निवेदन करूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं वह आपके दफ्तर के बारे में है, और वह भी मेरे कालिंग अटेंशन नोटिस के बारे में है । मैं आप से बार बार निवेदन कर चुका हूं कि मुझे तहरीरी जवाब मिलना चाहिये कि वह मंजूर है या नहीं । ठीक दस बजे मैंने काल एटेंशन नोटिस दे दिया था आपके दफ्तर के अन्दर, बम

[श्री बागड़ी]

विस्फोट के बारे में । लेकिन एक आदमी आता है और मुझ से कहता है कि आप क्वेश्चन दे दीजिए, काल एटेंशन मोशन नामंजूर हो गया । मैंने बार बार यह शिकायत की है कि जब मैं ठीक दस बजे अपना नोटिस दे देता हूं तो क्यों नहीं मुझ को तहरीरी जवाब दिया जाता । जब मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता हूं तो आप ऐतराज करते हैं । अब इसका क्या इलाज हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना मेरे लिये बहुत मुश्किल होगा और ऐसा करने के लिये मुझे और स्टाफ लेना होगा जो इस वक्त उचित नहीं है । मैं हर मेम्बर के नोटिस का जवाब इस लिये तहरीरी नहीं दे सकता । मैं मेम्बर साहिबान से कहूंगा कि कम से कम इस वक्त वे मेरे जवानी पैगाम पर ही ऐतबार कर लिया करें और उसे काफी समझें । हर मेम्बर को अगर तहरीरी जवाब दिया जाए तो उसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी और उसको आज भरती करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि हाउस इस मामले में मुझे सहायता दे ।

श्री बागड़ी : उस आदमी ने मुझे इत्तला दी कि आप क्वेश्चन रख दीजिए । मैंने उससे पूछा कि शार्ट नोटिस या दूसरे किस्म का तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं । अब क्या किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर के सामने जो नोटिस आवेगा वह उसका फैसला करेगा स्पीकर का दफ्तर इसके लिये नहीं है कि वह बतलाए कि शार्ट नोटिस सवाल दें क्या दूसरा । जब आप दें गे तो फैसला होगा कि आया वह कानून के मुताबिक है या नहीं ।

12.12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENTMENTS TO INDIAN TELEGRAPH RULES

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): I beg to lay on the Table a copy each of the following rules under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885:—

(i) The Indian Telegraph (Ninth Amendment) Rules, 1962, published in Notification No. S.O. 2708 dated the 1st September, 1962.

(ii) The Indian Telegraph (Tenth Amendment) Rules, 1962 published in Notification No. S.O. 2851 dated the 15th September, 1962. [Placed in Library, *see* No. LT-475/62.]

AMENDMENTS TO DELHI MOTOR VEHICLES RULES

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. F. 12|69|55-62|Transport published in Delhi Gazette dated the 26th July, 1962 making certain further amendments to the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [Placed in Library, *see* No. LT-472/62.]

ANNUAL REPORT OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1961-62

ANNUAL ACCOUNTS OF ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES FOR 1960-61 AND AUDIT REPORT THEREON

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(i) Annual Report of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1961-62, under section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[Placed in Library, *see* No. LT-473/62.]

(ii) Annual Accounts of the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1960-61 along with the Audit Report thereon, under